रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. No. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 57] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 31, 1992/चैत्र 11, 1914
No. 57] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 31, 1992/CHAITRA 11, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 3—आई टी सी (पी एन)/92—97

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1992

विषय :—निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) स्कीम।

फा.स. आई पी सी/4/5 (247)/92-97/4009 :— उपर्युक्त विषय पर अप्रैल, 1992—मार्च, 1997 के लिए निर्यात आयात नीति के अध्याय 6 में दिए गए प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। उपर्युक्त प्रावधानों के तहत पूंजीगत माल का आयात ऐसे माल के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के 25 प्रतिशत या 15 प्रतिशत सीमाशुल्क की रियायती दर पर किया जा सकता है बशर्ते कि ऐसे माल के लागत बीमा-भाड़ा मूल्य के क्रमशः तीन या चार गुने के बराबर निर्यात आगार पूरा किया जाए जिसे ऐसे आयातित माल की पहली खेप की सीमाशुल्क निकासी की तारीख से क्रमशः चार या पांच वर्षों की अवधि में पूरा किया जाएगा।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत पुराने पूंजीगत माल का आयात भी इस शर्त के अध्यधीन अनुमित है कि उपर्युक्तानुसार निर्यात का निर्धारण समरूप नई मशीनरी के लागत-बीमा भाड़ा मूल्य के आधार पर किया जाएगा। आयातित की जा रही पुरानी मशीनरी के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के आधार पर नहीं। इसलिए आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ पुरानी मशीनरी के बीजक की एक प्रति और नए पूंजीगत माल के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य का उल्लेख करते हुए एक दूसरा बीजक भी प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

3. इस स्कीम के तहत कम्प्यूटर सिस्टम के आयात के लिए आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित तरीके से सीधे मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात के कार्यालय को भेजे जाएंगे।

4. निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) लाइसेंस धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी स्वदेशी स्रोत से पूंजीगत माल ले सकता है। ऐसे मामलों में लाइसेंसधारी

संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी के साथ बैंक गारंटी सहित एक बंधपत्र भरेगा। लाइसेंसिंग प्राधिकारी यह सत्यापित करते हुए एक प्रमाण पत्र जारी करेगा कि लाइसेंसधारी ने स्कीम के अन्तर्गत यथाविनिर्दिष्ट मूल्य के लिए बैंक गारंटी तथा बन्धपत्र प्रस्तुत कर दिया है। उक्त लाइसेंस के मद्दे देशी पूंजीगत माल की आपूर्ति करने वाला देशी संभरक पूंजीगत माल के विनिर्माण के लिए 15 प्रतिशत के कस्टम शुल्क की रियायती दर पर संघटकों का आयात करने का पात्र है। इस प्रयोजन हेतु वह संघटकों के आयात के लिए अपना आवेदन पत्र लाइसेंसधारी के सहमति पत्र सहित ई पी सी जी लाइसेंस (दो प्रतियों में) और लाइसेंसिंग प्राधिकारी का एक प्रमाणपत्र यह उल्लेख करते हुए प्रस्तुत करेगा कि मूल लाइसेंसधारी ने बैंक गारंटी सहित एक बन्धपत्र प्रस्तुत कर दिया है। पात्र पाया जाने पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी संघटकों के आयात के लिए एक पृथक लाइसेंस जारी करेगा तथा साथ ही मूल ई पी सी जी लाइसेंस को पूंजीगत माल के सीधे आयात हेतु अयोग्य करार करते हुए उसे पृष्ठांकित करेगा।

5. यदि देशी संभरक संघटक आयात न करना चाहे, तो वह ई पी सी जी लाइसेंसधारी से एक सहमति पत्र, लाइसेंसिंग प्राधिकारी से एक प्रमाणपत्र यह निर्दिष्ट करते हुए कि मूल लाइसेंसधारी ने बैंक गारंटी और ई पी सी जी लाइसेंस (दो प्रतियों में) सहित बन्धपत्र भरा है, के साथ देशीय रिलीज आदेश जारी करने के लिए आवेदन कर सकता है। लाइसेंसिंग प्राधिकारी देशीय रिलीज आदेश जारी करेगा और साथ ही पूंजीगत माल के सीधे आयात के लिए ई पी सी जी लाइसेंस को अयोग्य कर देगा। देशी रिलीज आदेश की वैधता मूल ई पी सी जी लाइसेंस की समाप्ति तारीख तक रहेगी।

6. इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

डी. आर. मेहता, मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 3—ITC(PN)/92—97

New Delhi, the 31st March, 1992

Subject : Export Promotion Capital Goods (EPCG) Scheme.

F. No. IPC|4|5(247)|92—97|4009.—Attention is invited to the provisions contained in Chapter VI of the Export and Import Policy for April 1992—March 1997 on the subject mentioned above. In terms of these provisions, capital goods may be imported at concessional rate of customs duty of 25 per cent or 15 per cent of the c.i.f. value of such goods subject to an export obligation equivalent to three or four times, respectively, of the c.i.f. value of such goods to be fulfilled over a period of four or five years, respectively, from the date of customs clearance of the first consignment of such imported goods.

2. Under this scheme, import of second-hand capital goods is also allowed subject to the condition that the export obligation as mentioned above shall be based on the c.i.f. value of the corresponding new capital goods and not of second-hand machinery being imported. Therefore, applicants shall furnish alongwith their application a copy of the invoice of the second-hand machinery as well as the invoice of the c.i.f. value of the new capital goods.

3. Applications for import of computer system under this scheme may be made directly to the Office of the Chief Controller of Imports and Exports in the prescribed form and manner.

4. A person holding an EPCG licence may source the capital goods from a domestic supplier. In such cases the licensee shall execute a bond with bank guarantee with the concerned licensing authority. The licensing authority will issue a certificate certifying that the licensee has executed the bond and bank guarantee for the value as specified under the scheme. The domestic supplier, who intends to make supply of indigenous capital goods against the said licence, is eligible to import components for the manufacture of the said capital goods at a concessional rate of customs duty of 15 per cent. For this purpose, he will submit his application for import of components, alongwith a consent letter from the licensee, the EPCG licence (in duplicate) and a certificate from the licensing authority indicating that the original licensee has executed the bond with bank guarantee. If found eligible, the licensing authority shall issue a separate licence for import of components and simultaneously endorse the original EPCG licence making it ineligible for direct import of capital goods.

5. In case the domestic supplier does not intend to import components, he may apply for issue of indigenous Release Order alongwith a consent letter from the EPCG licence holder, a certificate from the licensing authority indicating that the original licensee has executed the bond with bank guarantee, and the EPCG licence (in duplicate). The licensing authority will issue the indigenous Release Order and simultaneously make the EPCG licence ineligible for direct import of capital goods. The validity of Indigenous Release Order will be upto the date of expiry of original EPCG licence.

6. This issues in public interest.

D. R. MEHTA, Chief Controller of Imports & Exports.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992